आवश्यक

संख्या: 63/2019/3505/12-2-2019-एफ.42/2001

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2019

विषय: कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था कराने, उर्वरकों के वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से तथा उर्वरक बिक्री उपरान्त कृषकों को कैश-मेमो/ पर्ची दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में रबी 2019-20 की मुख्य फसल गेहूँ एवं अन्य फसलों की बुवाई कार्य के साथ फसलों में टॉप ड्रेसिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी तथा नेपाल सीमा से लगे हुए क्षेत्र में तस्करी किए जाने की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी तथा तस्करी पर नियंत्रण करना अतिआवश्यक है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में आपूर्तित एवं उपलब्ध उर्वरकों का कृषकों के मध्य उनकी कृषि भूमि की आवश्यकतानुसार एवं उनके पहचान पत्र के आधार पर वितरण सुनिश्चित कराया जाए एवं उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की नियमित रूप से संबंधित जनपदीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर समीक्षा की जाए एवं समीक्षा के दौरान संज्ञान में लाये गए प्रकरणों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

3. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में रबी 2019-20 हेतु उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है फिर भी विशेष सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है। विशेषकर यूरिया उर्वरक की बिक्री निर्धारित दर पर सुनिश्चित कराते हुए पी0ओ0एस0 मशीन से बिक्री न करने एवं पी0ओ0एस0 मशीन से बिक्री के उपरान्त उससे निकलने वाली पर्ची भी कृषकों को उपलब्ध न कराने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(1) प्रदेश में यूरिया उर्वरक पर लगने वाले अतिरिक्त कर ए0सी0टी0एन के समाप्त होने के फलस्वरूप यूरिया का मूल्य सीमावर्ती राज्यों के समतुल्य होने के दृष्टिगत कृषकों की अधिक मांग के समय यूरिया की अधिक खपत/उठान की सम्भावना है। अत: अन्तराज्जीय/अन्तर्राष्ट्रीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सीमावर्ती जनपदों में सतर्क दृष्टि रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि उर्वरक प्रदेश के बाहर न जाने पाए।

(2) प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के पास स्टाक पंजिका, विक्रय पंजिका तथा रसीद का होना आवश्यक है। जनपद में थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं तथा उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों की उर्वरकवार बिक्री दर तथा स्टाक का अंकन ब्लैक-बोर्ड पर प्रतिदिन किया जाए।

(3) उर्वरकों के क्रेता कृषकों की पहचान विवरण, कैश रसीद पर अंकित जाए। पहचान विवरण के अन्तर्गत राशन कार्ड, जोत-बही, निर्वाचन पहचान पत्र, बैंक पास-बुक अथवा इसी प्रकार के अन्य अभिलेखों को अनिवार्य रूप से देखा जाए जिससे क्रेता कृषक की पहचान सुनिश्चित हो सके।

(4) उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अपने विक्रय केन्द्रों पर एक विक्रय रजिस्टर रखा जाए, जिसमें किसान का नाम, पिता का नाम, गॉव का नाम, श्रेणी, कृषि भूमि, उर्वरक का नाम, मात्रा, प्राप्त धनराशि तथा कैश रसीद की संख्या एवं दिनांक का अंकलन किया जाए ताकि उर्वरक निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के समय रजिस्टर से मिलान कर उर्वरक बिक्री का समय-समय पर सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।

(5) मै0 इफको द्वारा डी0ए0पी0 उर्वरक की वर्तमान दरों को घटाकर रूपये 1150/- प्रति बैग, एन0पी0के0 12:32:16 रूपये 1100/- प्रति बैग एवं एन0पी0के0 10:26:26 रूपये 1090/- प्रति बैग किया गया है। अत: यरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0, एम0ओ0पी0 एवं काम्प्लेक्स उर्वरक के बोरों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही बिक्री सुनिश्चित करायी जाए। यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करता हुआ पाया जाए तो उसके विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 में निहित प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

(6) निरीक्षण के समय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0, एम0ओ0पी0 एवं काम्प्लेक्स के अतिरिक्त मिश्रित उर्वरक, जिंक सल्फेट एवं जैव उर्वरक आदि के भी नमूने अधिक से अधिक संख्या में लिए जायें ताकि कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध हो सके। ग्रहित नमूनों का परीक्षण प्राथमिकता पर कराते हुए प्राप्त परिणामों के आधार पर यथोचित समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

(7) भारत-नेपाल सीमावर्ती जनपदों में 05 कि0मी0 क्षेत्रान्तर्गत निजी क्षेत्र की उर्वरक बिक्री हेतु उर्वरक निबंधन प्रमाण-पत्रों के निर्गमन पर लगे प्रतिबंध के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाए कि इस परिधि में निजी क्षेत्र का कोई उर्वरक विक्रय केन्द्र क्रियाशील न रहने पाए। साथ ही इन जनपदों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अवैध परिसंचलन पर भी पुलिस एवं स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एस0आई0पी0) के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाए एवं अवैध परिसंचलन को कठोरता से रोका जाए।

(8) कृषकों को पहचान पत्र के आधार पर उनकी जोत के अनुसार एवं फसलवार संस्तुत मात्रा के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराए जायें ताकि मंहगे उर्वरकों का असन्तुलित प्रयोग एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो में दुरूपयोग को नियंत्रित किया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) उर्वरकों की शीघ्र मांग के समय असामाजिक तत्वों द्वारा सस्ते एन0पी0के0 अथवा नकली उर्वरक तैयार करके डी0ए0पी0 के बैग में भरकर मंहगी दरों पर बेचने का प्रयास किया जाता है। अत: ऐसे परिसर/स्थानों पर निगरानी रखी जाए तथा ऐसे स्थानों को चिन्हित कर छापेमारी की कार्यवाही करते हुए दोषियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

(10) यदि कोई उर्वरक विक्रेता कृषकों को मुख्य उर्वरक यथा यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0, मिश्रित उर्वरक, काम्प्लेक्स एवं एम0ओ0पी0 के साथ कम प्रचलित अन्य उत्पाद भी खरीदने हेतु बाध्य करते हैं तो संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ऐसे प्रदायकर्ताओं पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाए, जिनके द्वारा किसी थोक उर्वरक विक्रेता को प्रमुख उर्वरक यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 काम्प्लेक्स एवं एम0ओ0पी0 की आपूर्ति दिये जाने हेतु कम प्रचलित उर्वरक प्राप्त करने हेतु बाध्य किया जाता है तो इसकी पुष्टि के उपरान्त संबंधित प्रदायकर्ता के विरूद्ध भी एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जाए। कम प्रचलित उव्ररक टैग किए जाने एवं उनका समय से विक्रय न होने के कारण प्रमुख उर्वरकों के मूल्य प्रभावित होने के साथ-साथ कालाबाजारी को बढावा मिलता है। अत: इस पर विशेष बल दिया जाए ताकि कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

(11) जनपद में स्थित सहकारी समितियों एवं सहकारी क्षेत्र के अन्य बिक्री केन्द्रों के द्वारा उर्वरकों की बिक्री करते समय ही पी0ओ0एस0 मशीन में अंकन सुनिश्चित करते हुए पी0ओ0एस0 मशीन से निकलने वाली पर्ची किसानों को उपलब्ध करायी जाए तथा उर्वरकों की बिक्री अन्य किसी माध्यम से/बिना पी0ओ0एस0 मशीन के न की जाए। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा भी उर्वरकों की बिक्री करते समय ही पी0ओ0एस0 मशीन में अंकन सुनिश्चित किए जाए तथा पी0ओ0एस0 मशीन से निकलने वाली पर्ची अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए। ऐसे उर्वरक विक्रेता जो पी0ओ0एस0 मशीन के अतिरिक्त अन्य माध्यम/सीधे उर्वरकों की बिक्री करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेा, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित की जाए।

(12) जनपदों में डीलरों द्वारा उर्वरक स्टाक को एक जनपद से दूसरे जनपद के डीलर को विक्रय किया जाता है जिसके कारण उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय जनपद में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता होते हुए भी कमी का सामना करना पडता है जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश,1985 एवं उर्वरक (परिसंचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य स्तर से प्रत्येक माह जारी किए जाने वाले उर्वरक मूवमेंट प्लान के विपरीत उर्वरक आपूर्ति/विक्रय की कार्यवाही की जा रही है। जनपद हेतु जारी किए गए उर्वरक मूवमेंट प्लान के विपरीत किसी भी प्रकार के उर्वरकों का संचलन अनुचित है एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा उर्वरक (परिसंचलन नियंत्रण), 1973 का उल्लंघन है।

(13) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त संबंधित विभागीय/सहकारी क्षेत्र के अधिकारियों एवं उर्वरक विक्रेताओं के साथ पाक्षिक समीक्षा बैठक सुनिश्चित करायी जाए और जनपद में उर्वरकों की आपूर्ति, उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा के साथ उर्वरक विक्रेताओं द्वारा टैगिंग, कालाबाजारी, अधोमानक उर्वरकों की बिक्री, थोक उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अर्न्तजनपदीय उर्वरकों की बिक्री आदि की शिकायतें प्राप्त होने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1985, आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 एवं उर्वरक संचलन (नियंत्रण) आदेश, 1973 में निहित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या:63/2019/3505(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
2. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेा, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0स्टेट एग्रो/गन्ना संघ/औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थायें, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।